शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

Telephone 07782-229037, Fax 07782-229297 Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 0281 / 600 / सा.प्रशा. / स्थापना / 2022 जगदलपुर, दिनांक07 / 07 / 2022

//विज्ञापन//

विश्वविद्यालय विनियम क्रमांक–116 ''शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति विनियम, 2022'' के प्रावधानानुसार निम्नलिखित तालिका में दर्शित शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के विभिन्न अध्ययनशालाओं में स्वीकृत प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता के रिक्त पदों के विरूद्ध शैक्षणिक सत्र 2022–23 में अध्यापन कार्य हेतु सहायक प्राध्यापक (संविदा) एवं व्याख्याता (संविदा) की अस्थायी नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय के पोर्टल **www.bvvjdpexam.in** पर दिनांक 11.07.2022 समय 12.00 बजे अपरान्ह से दिनांक 25.07.2022 समय 23.59 बजे अपरान्ह तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अध्ययनशालावार सहायक प्राध्यापक (संविदा) एवं व्याख्याता (संविदा) की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

(स) अध्ययनशालाओं में स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध

स. क.	अध्ययनशाला का नाम	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पद	योग
			अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.	अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	शिक्षा अध्ययनशाला	सहायक प्राध्यापक (संविदा)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला	सहायक प्राध्यापक (संविदा)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	प्रबंधन अध्ययनशाला	सहायक प्राध्यापक (संविदा)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		कुल रिक्त पद	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3

(ब) अध्ययनशालाओं में स्वीकृत सह प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध

स. क.	अध्ययनशाला का नाम	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पद	योग
			अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.	अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	शिक्षा अध्ययनशाला	सहायक प्राध्यापक (संविदा)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला	सहायक प्राध्यापक (संविदा)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
3	प्रबंधन अध्ययनशाला	सहायक प्राध्यापक (संविदा)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		कुल रिक्त पद	2	-	2	1	-	-	-	-	-	5

07.7.2022

(अ) अध्ययनशालाओं में स्वीकृत सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता के रिक्त पदों के विरूद्ध

स. क.	अध्ययनशाला का नाम	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पद	योग
			अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.	अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	शिक्षा अध्ययनशाला	व्याख्याता (संविदा)	**2**	-	**1**	**1**	**1**	-	-	-	-	**4**
2	कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला	सहायक प्राध्यापक (संविदा)	**1**	-	**1**	**1**	**1**	-	-	-	-	**3**
3	प्रबंधन अध्ययनशाला	सहायक प्राध्यापक (संविदा)	**1**	**1**	**1**	-	**1**	-	-	-	-	**3**
		कुल रिक्त पद	**4**	**1**	**3**	**2**	**3**	-	-	-	-	**10**

ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन का प्रिंट आउट/हार्ड कॉपी एवं संलग्न किये जाने वाले समस्त अनिवार्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित सुस्पष्ट छायाप्रति सीलबंद ए–4 साईज लिफाफे में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के 05 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 30.07.2022 तक कार्यालयीन समयावधि में ***कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़ पिन–494001*** को पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित करना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्राप्त आवेदन को ही मान्य किया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी भी कारण से विलंब से आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर जिम्मेदार नहीं होगा। क्रमशः पृष्ठ 2 एवं पृष्ठ 3 में उल्लेखित महत्वपूर्ण निर्देशों का अवलोकन करने पश्चात् ही ऑनलाईन आवेदन करें। विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन विश्वविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाईट **www.bvvjdp.ac.in** पर किया जा सकता है।

//महत्वपूर्ण निर्देश//

1. ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदकों को निम्नानुसार शुल्क का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से करना होगाः–
   - क. सामान्य वर्ग – रूपये 350/–
   - ख. अन्य पिछड़ा वर्ग – रूपये 250/–
   - ग. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति – रूपये 200/–
2. **न्यूनतम अर्हता** – उपरोक्त दर्शित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता इस विज्ञापन जारी किये जाने की तिथि में संबंधित विषय में सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के पद पर चयन हेतु यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई. के अद्यतन संशोधित विनियम/छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु तैयार किये गये नियम में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगा। ***चूंकि प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध सहायक प्राध्यापक (संविदा) की नियुक्ति किया जाना है। अतः संबंधित विषय में सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के पद पर चयन हेतु यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई. के अद्यतन संशोधित विनियम/छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु तैयार किये गये नियम में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगा।***
3. **शैक्षणिक अर्हता** – उपरोक्त दर्शित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता इस विज्ञापन जारी किये जाने की तिथि में संबंधित विषय में शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हता यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई. के अद्यतन संशोधित विनियम/छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु तैयार किये गये नियम में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगा।
4. संविदा नियुक्ति, विनियम क्रमांक–116 "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति विनियम, 2022" एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम, 2012 यथासंशोधित के प्रावधानानुसार की जायेगी।

07.7.2022

5. छ.ग. शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 16/2019 दिनांक 2 अगस्त, 2019 द्वारा संविदा में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन आदि के संबंध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले वित्त निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले निर्णय अनुसार सहायक प्राध्यापक (संविदा) हेतु एकमुश्त वेतन रूपये 40,840/– प्रतिमाह एवं संविदा व्याख्याताओं को एकमुश्त वेतन रूपये 27,740/ प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होंगे। इस विज्ञापन के जारी किये जाने अथवा चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा अंतिम चयन उपरांत छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा संविदा में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन आदि के संबंध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले वित्त निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले निर्णय अनुसार वेतन आदि का भुगतान किया जावेगा।

6. ***चूंकि प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध सहायक प्राध्यापक (संविदा) की नियुक्ति किया जाना है। अतः प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्त सहायक प्राध्यापक (संविदा) हेतु एकमुश्त वेतन रूपये 40,840/– प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।***

7. अभ्यर्थियों का चयन विनियम क्रमांक–116 "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति विनियम, 2022" के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

8. चयन प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। चयन हेतु प्रक्रिया विनियम क्रमांक– 116 "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति विनियम, 2022" के प्रावधानानुसार होगी।

9. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन पद्धति से शैक्षणिक कार्य संपादित करने की जानकारी होना अपेक्षित है। ऑनलाईन पद्धति से शैक्षणिक कार्य संपादित करने की जानकारी नहीं होने पर अंतिम रूप से चयन होने पश्चात् भी नियुक्त नहीं किया जायेगा। इस संबंध में चयन समिति की अनुशंसा पर कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

10. संविदा नियुक्ति की अवधि एक वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी। संविदा अवधि संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगी। संविदा अवधि की समाप्ति पर अथवा संबंधित वर्ग के लिये आरक्षित पद पर नियमित नियुक्ति होने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिये पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा। विनियम क्रमांक– 116 "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति विनियम, 2022" के प्रावधानानुसार संविदा सेवा अवधि का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

11. अंतिम चयन पश्चात् संविदा में नियुक्त अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

13. अभ्यर्थी द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि किसी भी पुलिस थाना या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और दंडित नहीं किया गया है। शपथ पत्र के अभाव में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

14. शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वशासी विभागों, निकायों, संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय पूर्व पदस्थापना के नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. यह विज्ञापन एवं संविदा नियुक्ति प्रक्रिया कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का अनुमति/आदेश प्राप्त होने, अपरिहार्य कारणों से किसी भी समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट/सूचना पटल पर आदेश जारी कर निरस्त किया जा सकेगा। इस पर किसी भी तरह का विधिक वाद मान्य नहीं होगा। संविदा नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त किये जाने पर आवेदकों को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी, और ऑनलाईन आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

16. शैक्षणिक अर्हताओं के अतिरिक्त पूर्व में अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में किये गये अध्यापन कार्य, अन्य योग्यताओं, शोध कार्यों, शोध पत्र प्रकाशन, एन.एस.एस., एन.सी.सी., राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय सेमीनार/वर्कशॉप में सहभागिता आदि गतिविधियों के लिये पृथक से अंक प्रदाय किये जायेंगे।

17. चयनित संविदा शिक्षक अन्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा। यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्था में नियमित पी–एच.डी./शोध कार्य में अथवा कोर्सवर्क आदि में संलग्न हों तो इसकी जानकारीमय अभिलेख चयन प्रक्रिया के दौरान/साक्षात्कार के दौरान दस्तावेज परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अंतिम चयन पश्चात् ऐसे अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण हेतु उपस्थित होते हैं, तो कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर की अनुमति से ही कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा। इस संबंध में कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

07.7.2022

18. संविदा शिक्षकों को 01 वर्ष में कुल 18 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिवस के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता अनुपातिक आधार पर होगी। शैक्षणिक पदों के लिये अवधि की गणना वर्तमान वर्ष के 01 जुलाई से आगामी वर्ष के 30 जून तक के लिये किया जायेगा।

19. कोविड–19 अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा आदि के कारण विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में शैक्षणिक कार्य संपन्न कराया जाना संभव नहीं की स्थिति में चयनित संविदा शिक्षकों को ऑनलाईन उपलबध माध्यमों से शैक्षणिक कार्य संपादित करना होगा। ऑनलाईन प्रक्रिया से संपादित किये जाने वाले व्याख्यान/अध्यापन कार्य के लिये पृथक से मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा।

20. सेमेस्टर पद्धति से संविदा शिक्षकों को शैक्षणिक कैलेण्डर अनुसार निर्धारित अवधि तक आबंटित पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर की अनुमति से ही उक्त तिथि में वृद्धि किया जा सकेगा।

21. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जावेंगे। निरस्त आवेदन पत्रों के लिये पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

22. छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन नियम, 2012 विषयक् छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3, रायपुर, दिनांक 04.12.2012 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 289 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 नवंबर 2012 के अनुसूची–1 में उल्लेखित सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों के लिये मॉडल रोस्टर के निर्धारित 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को एक यूनिट (इकाई) मानते हुये विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनशालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों को व्यवस्थित करने पश्चात् यह विज्ञापन जारी किया गया है।

7/7/2022

कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर,
जगदलपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/0282/600/सा.प्रशा./स्थापना/2022 जगदलपुर, दिनांक 07/07/2022

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।
2. समस्त विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष, समस्त विभाग/अध्ययनशाला, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।
3. विश्वविद्यालय सूचना पटल एवं वेबसाईट पर चस्पा/अपलोड करने हेतु।

07.7.2022

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर,
जगदलपुर (छ.ग.)